पत्रांक–श्रम क०सं०–59/2025(अंश)-557

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, वैशाली के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 02 कामगार का दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों रू० 2,00,000/– (दो लाख रूपए मात्र) प्रति कामगार की दर से रू० 4,00,000/– (चार लाख रूपए मात्र) अर्थात् **कुल राशि रू० 4,00,000/– (चार लाख रूपए मात्र)** का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०–1351, दिनांक–06.10.2025 के क्रम संख्या–11 एवं विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०–1491, दिनांक–21.11.2025 के क्रम संख्या–05 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु उपरोक्त विमुक्ति आदेशों के क्रम संख्या–11 एवं 05 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का I.F.S.C गलत रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक–1351, दिनांक–06.10.2025 के क्रम संख्या–11 एवं विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०–1491, दिनांक–21.11.2025 के क्रम संख्या–05 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, वैशाली के पत्रांक–658, दिनांक–24.04.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व0 अशोक कुमार, 41, जगदीश राम, अनुसूचित जाति	गुड़िया देवी (पत्नी)	658 24.04.2026 एवं 1406 09.09.2025	ग्राम+पो0–जुड़ावनपुर करारी, थाना–जुड़ावनपुर, प्र0–राघोपुर, जिला–वैशाली 9798177614	1000161030651876	BGB PUNB0MBGB06	रू0 2,00,000/– (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व0 देवानंद कुमार, 20, कृष्णदेव राय, पिछड़ा वर्ग	कृष्णदेव राय (पिता)	658 24.042026 एवं 1142 26.072025	ग्राम+पो0–रामपुर श्यामचन्द, थाना+प्र0–राघोपुर, जिला–वैशाली 9006273537	1000161030434905	BGB PUNB0MBGB06	रू0 2,00,000/– (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुलः–रू० 4,00,000/–
(चार लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं0 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश 1351, दिनांक–06.10.2025 के क्रम संख्या–11 एवं विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०–1491, दिनांक–21.11.2025 के क्रम संख्या–05 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/–
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/–
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :–श्रम क०सं०–59/2025(अंश)-557 **पटना, दिनांक :– 18/05/2026**

प्रतिलिपि :– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता

है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रू 4,00,000/– (चार लाख रूपए) मात्र** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, वैशाली/उप श्रमायुक्त, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

15/05/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 15-05-2026 10:27:20

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
Signed by Rajesh Bharti
Date: 18-05-2026 11:31:12

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक